हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

12/3/25

पत्रावली वास्ते कार्यवाही प्रस्तुत हुई।
प्रकरण निम्न प्रकार है -

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 63(2) RTA इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि -

* ख.नं. 85 रकबा 0.52 Hect किता एक वाके ग्राम बालाकुण्ड जमाबन्दी संवत 2033-34 में पवनकुमार आत्मज चमनलाल निवासी नयापुरा कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है.
* ग्राम बालाकुण्ड के नामा.नं. 37 दिनांक 18/07/2001 द्वारा विवादग्रस्त भूमि धारा 90B के अन्तर्गत नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
* अप्रार्थी पवनकुमार द्वारा उपरोक्त आराजी ख.नं. 85/0.52 Hect पर कभी भी कृषि के रूप में कोई उपयोग व उपभोग नहीं किया है. उक्त भूमि पर न तो स्वयं द्वारा काश्त की गई है और ना ही अपने प्रतिनिधि द्वारा काश्त करवाई गई है। कई वर्षों से आज तक भूमि पड़त पड़ी हुई है। जिसके

उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स
	तहसील में रेकार्ड ... ग्रीफार्मर्स IKR ...

* विवादग्रस्त आराजी ... के रूप में अंकित है तथा ... के रूप में ... शहर के पानी की निकासी भरा रहता है। तथा शहर के पानी की निकासी का यह नाला है, अगर यह अवरुद्ध होता है तो शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
* अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी $\frac{85}{0.52}$ हैक्टेयर भूमि काश्त करने हेतु दी हुई है जिसको कृषि कार्य न कर परित्याग स्वाबेदार द्वारा कर दिया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 85 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम बालाकुण्ड को राज्यहित में सिवायचक गै.मु. नाला दर्ज करने के आदेश फरमावें।

* प्रार्थनापत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया।
* अप्रार्थी कुम (1) द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र

उपखण्ड अधिकारी
...

प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि –

* दिनांक 18.12.78 से पूर्व उक्त भूमि प्रतिपक्षी के द्वारा विशालचन्द जी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी।

* उक्त आराजी 91 B में गलत रूप से प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना VIT के नाम दर्ज कर दी गई है जो उसके विरुद्ध प्रतिपक्षी सक्षम न्यायालय में चारा-जोई करेगा।

* प्रतिपक्षी ने समय-समय पर भूमि को काश्त किया है तथा उसका नियमित रूप से लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है। अभी कुछ समय से अवांछित कालोनीयाँ बन जाने से पानी के निकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाने से प्रतिपक्षी की भूमि में होकर बरसाती पानी का निकास हो गया है और इससे भूमि की मिट्टी बह गई है, तथा जमीन खराब भी हो गई है। बरसाती पानी के निकास की अन्य व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है और ऐसा हो जाने पर प्रतिपक्षी अपनी भूमि को पुनः काश्त कर सकेगा। केवल

उपखण्ड अधिकारी कोट

भूमि पड़त रहने मात्र से ... अधिकार
किसी प्रकार से कोई अधिकार
नहीं होते हैं।

* विवादित भूमि में केवल बरसात में पानी आता है और इसके लिए भी राज्य सरकार ही दोषी है।

* विवादित भूमि प्रतिपक्षी के द्वारा ने विधिवत रूप से पूर्व नाकीदार से क्रय की है। राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि प्रतिपक्षी को नहीं दी गई है। भूमि जब तक काश्त योग्य नहीं, प्रतिपक्षी काश्त करता रहा है, प्राकृतिक कारणों से तथा ऐसे कारणों से जो प्रतिपक्षी के वश में नहीं है यदि भूमि काश्त योग्य नहीं रही तो उसमें प्रतिपक्षी का कोई दोष नहीं है। प्रतिपक्षी ने कभी भी उक्त भूमि का परित्याग नहीं किया है।

* प्रतिपक्षी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थनापत्र प्रश्नगत धारा 63(2) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। धारा 13(2) उस उपखण्ड पर लागू होती है जहां

नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

कृषक के अधिकारों का परित्याग हो जाता है। धारा 13(2) के प्रावधान कृषक पर लागू नहीं होते हैं।

* प्रस्तुत मामले में धारा 55 व 60 के अन्तर्गत न तो कोई सरेन्डर हुआ है और न ही अबन्डमेन्ट ही हुआ है। धारा 55 व 60 में खातेदारी अधिकारों के सरेन्डर व अबन्डमेन्ट की एक प्रक्रिया निर्धारित है जो प्रस्तुत मामले में कहीं भी लागू नहीं है।

* पूर्व में भी राज्यसरकार की ओर से तहसीलदार बाड़पुरा [?] द्वारा इसी न्यायालय में इसी विवादित भूमि ख.नं. 85/0.52 हैक्टेयर के सम्बन्ध में धारा 88, 89 RTA के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया तथा उसमें भी यह प्रार्थनापत्र की गई थी कि तरमीम [?] की जाकर भूमि के खातेदारी अधिकारों से वंचित कर भूमि राज्य सरकार के खाते दर्ज कर दी जावे।

* जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी राज्यसरकार [?] खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...
	* प्रतिवादी क्रम (2) द्वारा ... पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया ... हस्तगत आराजी दिनांक 18/07/... धारा 90-B के अन्तर्गत UIT के स्वामि... दर्ज हुई है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। * बहस सुनी गई। * अभिभाषक प्रतिपक्षी का मुख्य कथन है कि धारा 90-B के तहत स्वायत्तशासी संस्था हो चुकी है तो उसके पश्चात् धारा 63 के प्रार्थनापत्र का कोई मतलब नहीं है। तकाजा प्रतिपक्षी व UIT के मध्य का शेष रहता है। * हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। * प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में स्वयं स्वीकार किया गया है कि हस्तगत आराजी नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 18/07/2001 से

90·B के अन्तर्गत नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुकी थी, इस तथ्य को प्रतिपक्षी क्रमांक (2) UIT द्वारा भी अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार किया गया है।

* उक्त परिस्थितियों में विवादित प्रतिपक्षी का यह कथन न्यायोचित है कि 18/07/2001 को 90·B के तहत UIT के खाते हस्तगत आराजी दर्ज होने से, प्रतिपक्षी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गए और उक्त परिस्थिति में धारा 63(2) का प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी के विरुद्ध मेन्टेनेबल ही नहीं था।

* उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 63(2) RTA अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

* अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 63(2) RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
	अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी 12/03/2025